

परिच्छेद-3"

विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आपत्ति
प्रमाण-पत्र

नामित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/शुभ्रा अशोक कुमार सचदेवा
पुत्र/पत्नी/पुत्री स्व. प्रताप सिंह निवासी मोती महल, रामनगा - हाल (पता) कल्याणपुर कोटा बाग
जिसके द्वारा अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली-2016 के अन्तर्गत पंजीकरण
हेतु आवेदन किया गया है, के पंजीकरण में इस विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत
को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक.....

स्थान.....

1-6-2016
ग्राम,
ग्राम पंचायत नंबर
...

नाम व हस्ताक्षर
सचिव/अधिकासी अधिकारी/ग्राम प्रधान,
विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत
(सील)

नोट-प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जो कि विकास प्राधिकरण व स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत दोनों के ही
अन्तर्गत आते हों, की दशा में विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।